उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट कनवास जिला कोटा (राज.)
न्यायालय बइजलास श्री लहरी कुमार जैन R.A.S.

मुकदमा नं. 01/17 दावा

निर्णय दिनांक 15.03.2017

1. मुरलीधर पुत्र लाडली प्रसाद जाति धाकड ।
2. ओमप्रकाश पुत्र लाडली प्रसाद जाति धाकड ।
3. पार्वतीबाई पुत्रि लाडली प्रसाद जाति धाकड।
4. राधबाई पुत्रि लाडली प्रसाद जाति धाकड निवासीगण बालूहेडा तहसील कनवास जिला कोटा।

—वादी

बनाम

1. लाडलीप्रसाद आत्मज श्री किशन जाति धाकड निवासी बालूहेडा तहसील कनवास।
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार कनवास जिला कोटा।

—प्रतिवादी

दावा हक घोषणा अन्तर्गत धारा 88, 89, आर.टी.एक्ट.

उपस्थित — श्री रेवती रमण नागर एडवाकेट — वादीगण की ओर से
श्री नरेन्द्र सिंह एडवाकेट — प्रतिवादी क्रम 01 की ओर से
तहसीलदार कनवास — प्रतिवादी क्रम 02 राजस्थान सरकार की ओर से

निर्णय

वादी द्वारा जर्ये एडवोकेट वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रतिवादी 01 के खाते माल माल ग्राम झालरा पटवार हल्का झालरी खाता नंबर 110 की खसरा नंबर 374 की 0.28 है0, खसरा नंबर 493 की 2.72 है, किता 02 की 3.00 है0, एवं माल ग्राम बालूहेडा पटवार मण्डल बालूहेडा की खाता नंबर 177 नई की खसरा नंबर 38 की की 0.74 है0, खसरा नंबर 40 की 0.06 है0, खसरा नंबर 97 की 1.13 है0, खसरा नंबर 279 की 0.01 है0, खसरा नंबर 280 की 2.42 है0, खसरा नंबर 365 की 0.57 हे0, किता 06 की 4.93 है0, आराजी एवं माल ग्राम बालूहेडा में ही खाता नंबर 175 की खसरा नंबर 19 की 1.85 है0, खसरा नंबर 359 की 1.30 है0, आराजी खसरा नंबर 474 की 0.37 है0, आराजी किता 03 की 3.52 है0, आराजी प्रति नंबर 01 की पुश्तैनी आराजी है। वाद पत्र के पेरा नंबर 01 में वर्णित आराजी प्रतिवादी नंबर 01 की पुश्तैनी आराजी है जो प्रतिवादी नंबर 01 को अपने पिताजी से विरासत में प्राप्त हुई थी, उक्त समस्त पुश्तैनी आराजी में वादीगण जो कि प्रतिवादी नंबर 01 के पुत्र व पुत्रियां है सभी का बाई अर्थ अधिकार निहित है। वादीगण के द्वारा प्रतिवादी नंबर 01 से कई मर्तबा कहने के बाद भी वादीगण का नाम उपरोक्त वर्णित आराजी में दर्ज नंही करवाया तथा उक्त कार्य के लिए वादीगण के द्वारा कई बार राजस्व कर्मचारियों को भी कहा लेकिन वादीगण की बात पर ध्यान नंही दिया, तथा गत वर्ष राजस्व शिविरों में भी कहा पर वादीगण का नाम रिकार्ड में अपने हिस्सानुसार दर्ज नंही किया गया, मौके पर तो प्रतिवादी नंबर 01 के द्वारा सभी वादीगण को उपयोग उपभोग के लिए उपरोक्त वर्णित आराजी में से हिस्सा दे रखा है जिस पर वादीगण काश्त कर रहे हे किन्तु वादीगण को उक्त कृषि भूमि पर विकास कार्य करने व अन्य जरूरतों की पूर्ति हेतू कृषिऋण की सख्त आवश्यकता है किन्तु वादीगण के खाते में जमीन नंही होने के कारण वादीगण को कृषिऋण नहीं मिल पा रहा है, ऐसी स्थिती में वादीगण के लिए माननीय न्यायालय में हक घोषणा का वाद पेश करके अपना हक घोषित करवाना सख्त आवश्यक हो गया है।

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज0)

किया कि ग्राम झालरा पटवार हल्का झालरी की खसरा नंबर 374 की 0.28 है0, खसरा नंबर 493 की 2.72 है0, किता 02 की 3.00 है0, एवं माल ग्राम बालूहेडा पटवार मण्डल बालूहेडा की खाता नंबर 177 ई की खसरा नंबर 38 की की 0.74 है0, खसरा नंबर 40 की 0.06 है0, खसरा नंबर 97 की 1.13 है0, खसरा नंबर 279 की 0.01 है0, खसरा नंबर 280 की 2.42 है0, खसरा नंबर 365 की 0.57 हे0, किता 06 की 4.93 है0, आराजी एवं माल ग्राम बालूहेडा में ही खाता नंबर 175 की खसरा नंबर 19 की 1.85 है0, खसरा नंबर 359 की 1.30 है0, आराजी खसरा नंबर 474 की 0.37 है0, आराजी किता 03 की 3.52 है0, में से 1/2 हिस्से में हक घोषणा की डीक्री सादिर पारित की जाने की कृपा करें।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण की तलवी की गई। प्रतिवादी नंबर 1 की ओर से इकबालिया जवाब प्रस्तुत हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी क्रम 02 राजस्थान सरकार की ओर से तहसीलदार कनवास ने जवाब प्रस्तु कर निवेदन किया कि उक्त आराजी का विभाजन होने से राजहित प्रभावित नंही है तथा वादी व प्रतिवादी क्रम 02 द्वारा दिंनाक 01.03.2017 को राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि माल ग्राम झालरा पटवार मण्डल झालरी तहसील कनवास की खसरा नंबर 374 रकबा 0.28 है, खसरा नंबर 493 की 2.72 है0, किता 02 की रकबा 3.00 है0, व माल ग्राम बालूहेडा पटवार मण्डल बालूहेडा की खसरा नंबर 38 की 0.74 है0, खसरा नंबर 40 की 0.06 है0, खसरा नंबर 97 की 1.13 है0, खसरा नंबर 279 की 0.01 है0,खसरा नंबर 280 की रकबा 2.42 है0, खसरा नंबर 365 की रकबा 0.57 है0, किता 06 की 4.93 है0, में वादीगण प्रत्येक का 1/5 हिस्सा व प्रतिवादी क्रम 1 का 1/5 हिस्सा रहेगा एवं माल ग्राम बालूहेडा पटवार मण्डल बालूहेडा की खसरा नंबर 19 की 1.85 है0, खसरा नंबर 359 की रकबा 1.30 है0, खसरा नंबर 474 की 0.37 है0, में निहित प्रतिवादीक्रम 01 के 1/2 हिस्से में वादीगण प्रत्येक का 1/5–1/5 हिस्सा अर्थात कुल खाते का 1/10–1/10 हिस्सा रहेगा तथा प्रतिवादी नंबर 01 लाडली प्रसाद का 1/10 हिस्सा रहेगा, राजीनामा सभी पक्षकारानों को पढकर सुनाया गया, सुनकर सही होना, सहमत होना व राजीनामा अनुसार व दावा अनुसार कार्यवाही किये जाने का निवेदन किया। वादीगण को उनके वकील ने व प्रतिवादी को उनके वकील ने पहचान कर सही होना बताया तथा वादीगण व प्रतिवादीगण के फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत हुए। प्रस्तुत पहचान पत्र का मूल आई डी से मिलान किया गया राजीनामे से वादीगण व प्रतिवादी क्रम 01 के सहमत होने से राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

वाद पत्र में अंकित तथ्यों, दस्तावेजों व प्रस्तुत राजीनामें का अवलोकन कर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में राजीनामा अनुसार माल ग्राम झालरा पटवार मण्डल झालरी तहसील कनवास की खसरा नंबर 374 रकबा 0.28 है, खसरा नंबर 493 की 2.72 है0, किता 02 की रकबा 3.00 है0, व माल ग्राम बालूहेडा पटवार मण्डल बालूहेडा की खसरा नंबर 38 की 0.74 है0, खसरा नंबर 40 की 0.06 है0, खसरा नंबर 97 की 1.13 है0, खसरा नंबर 279 की 0.01 है0,खसरा नंबर 280 की रकबा 2.42 है0, खसरा नंबर 365 की रकबा 0.57 है0, किता 06 की 4.93 है0, भूमि में वादीगण प्रत्येक का 1/5– 1/5 व प्रतिवादी क्रम 01 का 1/5 हिस्सा रहेगा तथा माल ग्राम बालूहेडा पटवार मण्डल बालूहेडा की खसरा नंबर 19 की 1.85 है0, खसरा नंबर 359 की रकबा 1.30 है0, खसरा नंबर 474 की 0.37 है0, किता 03 की रकबा 3.52 है0, में प्रतिवादी क्रम 01 के सम्पूर्ण आराजी में निहित 1/2 हिस्से में से वादीगण मुरलीधर,ओमप्रकाश,पार्वतीबाई, राधाबाई प्रत्येक का 1/5–1/5 हिस्सा अर्थात कुल खाते का 1/10–1/10 हिस्सा तथा प्रतिवादी नंबर 01 लाडली प्रसाद का 1/10 हिस्सा रहेगा।

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार ग्राम झालरा पटवार मण्डल झालरी तहसील कनवास की आराजी खसरा नंबर 374 रकबा 0.28 है, खसरा नंबर 493 की 2.72 है0, किता 02 की रकबा 3.00 है0, व माल ग्राम बालूहेडा पटवार मण्डल बालूहेडा की खसरा नंबर 38 की 0.74 है0, खसरा नंबर 40 की 0.06 है0, खसरा नंबर 97 की 1.13 है0, खसरा नंबर 279 की 0.01 है0, खसरा नंबर 280 की रकबा 2.42 है0, खसरा नंबर 365 की रकबा 0.57 है0, किता 06 की 4.93 है0, में वादीगण मुरलीधर पुत्र लाडली प्रसाद, ओमप्रकाश

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज०)

पुत्र लाडली प्रसाद, पार्वतीबाई पुत्री लाडली प्रसाद, राधाबाई पुत्री लाडलीप्रसाद व प्रतिवादी क्रम 01 लाडली प्रसाद पुत्र श्री किशन प्रत्येक को 1/5 – 1/5 हिस्से का व माल ग्राम बालूहेडा पटवार मण्डल बालूहेडा की खसरा नंबर 19 की 1.85 है0, खसरा नंबर 359 की रकबा 1.30 है0, खसरा नंबर 474 की 0.37 है0, किता 03 की रकबा 3.52 है0, में 1/10– 1/10 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किये जाने का आदेश दिया जाता है। डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिंनाक 15.03.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(लहरी कुमार जैन)
उपखण्ड अधिकारी
कनवास

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी कनवास (कोटा)

अन्तिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix "D"-1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट कनवास मुकाम कनवास

बईजलास श्री लहरी कुमार जैन आर. ए. एस

1. मुरलीधर पुत्र लाडली प्रसाद जाति धाकड ।
2. ओमप्रकाश पुत्र लाडली प्रसाद जाति धाकड ।
3. पार्वतीबाई पुत्रि लाडली प्रसाद जाति धाकड।
4. राधबाई पुत्रि लाडली प्रसाद जाति धाकड निवासीगण बालूहेडा तहसील कनवास जिला कोटा।

–वादी

बनाम

1. लाडलीप्रसाद आत्मज श्री किशन जाति धाकड निवासी बालूहेडा तहसील कनवास।
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार कनवास जिला कोटा।

–प्रतिवादी

दावा हक घोषणा अन्तर्गत धारा 88, 89, आर.टी.एक्ट.

मुकदमा नं. 01/17 दिनाक 18.03.2017 सन 2017 यह मुकदमा आव वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू उपखण्ड अधिकारी कनवास ब हाजरी वादीगण की ओर से एडवाकेट श्री रेवतीरमण नागर मिनजानिब मुदई व प्रतिवादी क्रम 01 की ओर से एडवोकेट श्री नरेन्द्र सिंह तथा प्रतिवादी क्रम 02 राजस्थान सरकार की ओर से तहसीलदार कनवास मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी की जाती है ग्राम झालरा पटवार मण्डल झालरी तहसील कनवास की आराजी खसरा नंबर 374 रकबा 0.28 है0, खसरा नंबर 493 की 2.72 है0, किता 02 की रकबा 3.00 है0, तथा माल ग्राम बालूहेडा पटवार मण्डल बालूहेडा के खसरा नंबर 38 की 0.74 है, खसरा नंबर 40 की 0.6 है0, खसरा नंबर 97 की 1. 13 है0, खसरा नंबर 279 की 0.01 है0, खसरा नंबर 280 की 2.42 है0, खसरा नंबर 365 की 0. 57 है0, किता 06 की 4.93 है0, में वादीगण मुरलीधर पुत्र लाडलीप्रसाद, ओमप्रकाश पुत्र लाडली प्रसाद, पार्वतीबाई पुत्री लाडली प्रसाद, राधाबाई पुत्र लाडलीप्रसाद व प्रतिवादी क्रम 01 लाडली प्रसाद पुत्र श्री किशन प्रत्येक को 1/–1/5 हिस्से का व माल ग्राम बालूहेडा पटवार मण्डल बालूहेडा की खसरा नंबर 19 की 1/85 है0, खसरा नंबर 359 की 1.30 है0, खसरा नंबर474 की 0.37 है0, किता 03 की 03.52 है0, में 1/10– 1/10 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किये जाने का आदेश दिया जाता है। तदानुसार अंतिम डिक्री जारी की जाती है।

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज0)

नीज ... X ...मुबलिग .... X ...बाबत ... X ..खर्चा इस मुकदमें का मय सूद व शरह ... X ...फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक ... X ..को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 15 मार्च सन 2017 को जारी की गई।

श्री लहरी कुमार जैन
(R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड कनवास
जिला कोटा

मोहर ....

मुदई	रूपया	पै.	मुदायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा	-------NIL-------		स्टाम्प वकालतनामा	-------NIL-------	
स्टाम्प वकालतनामा ...			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुकमनामा.... ...		
बाबत इजराय हुकमनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक			मीजान		
मीजान					

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो या नहीं। दर्ज करना चाहिये।

श्री लहरी कुमार जैन
(R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड कनवास
जिला कोटा